न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.- 13 /2024 /
गिरधारी लाल पुत्र रूपाराम जाति मीणा साकिन साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 10/01/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 3694/142 तादादी 2.3677 हेक्टेयर है। जिसमें प्रार्थी का नाम गिरधारी अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम गिरधारी लाल सही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गिरधारी लाल है। नाम भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 3694/142 तादादी 2.3677 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम गिरधारी लाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र पर आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का साहवा के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम गिरधारी की जगह गिरधारी लाल करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गिरधारी ही दर्ज है। अतः प्रार्थी गिरधारी की जगह गिरधारी लाल दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवार हल्का साहवा की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि करती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 3694/142 तादादी 2.3677 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि गिरधारी Delete कर उसके स्थान पर गिरधारी लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/01/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)